संख्या-43/2026/360/59-2-2026/001-1816799

प्रेषक,

कपिल देव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-1225/खा0ग्रा0बो0/प्रशिक्षण/अ0सु0सु0यो0/2026-27, दिनांक 28.07.2026 द्वारा प्रेषित कार्ययोजना अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन **"प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण"** मद में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) में से रू0 282.48 लाख (रूपये दो करोड़ बयासी लाख अड़तालीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) योजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माण/मरम्मत, साज-सज्जा संबंधी कार्यो हेतु शासन के पत्र संख्या-279/59-2-2026/ई-1816799, दिनांक 09.07.2026 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था के माध्यम से उक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-1225/खा0ग्रा0बो0/प्रशिक्षण/अ0सु0सु0यो0/2026-27, दिनांक 28.07.2026 में प्रस्तावति अन्य कार्यो के सम्बन्ध में नियमानुसार सम्बन्धित शासनादेशों के अधीन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 2,82,48,000 (रू0 दो करोड़ बयासी लाख अड़तालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-**005 **लेखा शीर्षक** 2851001050600 प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण **मानक मद**-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कपिल देव
अनु सचिव।

संख्या-43/2026/360(1)/59-2-2026/001-1816799 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/ औद्योगिक विकास अनुभाग-2
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कपिल देव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।